संख्या-36/2018/940/71-3-2018-जी-75/2014टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 06 नवम्बर, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर के लिए अनुमोदित उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/594, दिनॉक 31-10-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 50.00 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में शासनादेश दिनांक 19-06-2018 द्वारा अनुमोदित उपकरणों में से अवशेष निम्नलिखित 02 नग उपकरणों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर के लिए क्रय किए जाने वाले उपकरणों की सूची			
S.No.	Department name	Name of Equipment	Quantity
1	Cardiac Anaesthesia	Echocardiography Machine with adult and peadiatrics TEE probe	1
2	OPD	Portable Echo	1

1. **उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।**
2. **शासनादेश संख्या-17/2018/415/71-3-2018-जी-75/2014टी0सी0, दिनांक 19-06-2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. **राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टियॉ 03 साल तक वैद्य रहेगी। उक्त विशिष्टियों के आधार पर वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उपकरणों का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**
4. **डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

5. **प्रश्नगत उपकरण का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित निदेशक की होगी।**
6. **यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।**
7. **राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान में उपकरणों के क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।**
8. **स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।**
9. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।**
10. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।**
11. **राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।**
12. **राजकीय मेडिकल कालेजो एवं संस्थानों में उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
13. **इस सम्बन्ध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11.12.2017 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**
14. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।**
15. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।**
16. **डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई है।**

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीट्यूट-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः-36/2018/940(1)/71-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
3. **वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।**
5. **वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।**
6. **कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
7. **नियोजन अनुभाग-4**
8. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3**
9. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**